**बिहार सरकार**
**सामान्य प्रशासन विभाग**
**–:: आदेश ::–**

**आदेश संख्या–27/आरोप–01–26/2022–सा0प्र0..........पटना–15, दिनांक.............**

राज्य सूचना आयोग के ज्ञापांक–257 दिनांक–07.04.2022 द्वारा वाद संख्या–A7472/2021 (श्री दया शंकर तिवारी बनाम प्रथम अपीलीय प्राधिकार) में राज्य सूचना आयोग द्वारा दिनांक– 14.03.2022 को पारित आदेश की प्रति इस विभाग को उपलब्ध करायी गयी।

उक्त आदेश में आवेदक **श्री दयाशंकर तिवारी को सूचना देने में दो वर्ष दस माह के विलम्ब के लिये दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई नहीं किये जाने को रेखांकित करते हुए तत्कालीन लोक सूचना पदाधिकारी के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है।**

विभागीय पत्रांक–7445 दिनांक–19.05.2022 द्वारा श्री कुमारिल सत्यनन्दन, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–1084/11, तत्कालीन वरीय उप समाहर्त्ता, पटना–यह–लोक सूचना पदाधिकारी से उक्त विलंब के लिए अपना स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया। श्री कुमारिल सत्यनन्दन के पत्रांक–26 दिनांक–24.05.2022 द्वारा सूचना उपलब्ध कराने में विलंब के लिए अपना स्पष्टीकरण इस विभाग को उपलब्ध कराया गया है, जिसमें वर्णित है कि:–

वे दिनांक–23.02.2019 को जिला शस्त्र शाखा के प्रभारी पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त रहे। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि उन्हें विषयांकित मामले की जानकारी राज्य सूचना आयोग में आवेदक के द्वितीय अपील दायर करने तथा उसे राज्य सूचना आयोग के पत्र द्वारा दिनांक–22.10.2020 को प्राप्त होने से हुई। उनके द्वारा आवेदक को पत्र द्वारा दिनांक–31.10.2020 को सूचना उपलब्ध करा दी गयी तथा दिनांक–18.11.2020 को राज्य सूचना आयोग का स्पष्टीकरण भी उपलब्ध कराया गया। चूंकि उनके संज्ञान में इस मामले के लंबित रहने के विषय में नहीं लिया गया तथा कार्यालय कर्मी द्वारा संचिका उपस्थापित नहीं की गयी, इसलिए आवेदक को सूचना उपलब्ध कराने में विलंब हुआ।

प्रतिवेदित आरोप एवं वर्णित तथ्यों की समीक्षा सक्षम प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत सक्षम प्राधिकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार श्री कुमारिल सत्यनन्दन, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–1084/11, तत्कालीन वरीय उप समाहर्त्ता, पटना–यह–लोक सूचना पदाधिकारी को भविष्य के प्रति सचेत करते हुए इनके विरूद्ध प्रतिवेदित इस आरोप प्रकरण को **संचिकास्त** किया जाता है।

ह0/–
**(शालिग्राम पाण्डेय)**
सरकार के अवर सचिव

**ज्ञापांक–27/आरोप–1–26/2022–सा0प्र0** 4434 **पटना–15, दिनांक** 3.3.26

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, राज्य सूचना आयोग/जिला पदाधिकारी, पटना/श्री कुमारिल सत्यनन्दन, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–1084/11, तत्कालीन वरीय उप समाहर्त्ता, पटना–यह–लोक सूचना पदाधिकारी/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–12/14/29 एवं आई0टी0 मैनेजर (वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06.03.26

सरकार के अवर सचिव।